

1995-96

(आंकड़े करोड़ रु० में)

उत्पादन का बिक्री मूल्य	2.87	1.07	2.25	1.69
गजस्र व्यय	2.63	2.69	2.09	3.12
पूँजीगत व्यय	0.59	0.71	1.30	1.56

Registration of Tobacco Growing Farmers

822. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Tobacco Board is showing increasing reluctance to grant registration to farmers growing tobacco in Andhra Pradesh;

(b) whether there is any administrative mechanism to ensure that farmers in backward and tribal areas in Andhra Pradesh get easy registration; and

(c) the steps proposed to make the Tobacco Board accountable?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLABULLI RAMAIAH): (a) No, Sir.

(b) All the Tobacco growers eligible for grant of registration as per guidelines formulated by the Board for the farmers including those in backward and tribal areas of Andhra Pradesh can obtain registration from the Board's Auction platform within whose jurisdiction the farmers grows tobacco.

(c) The performance of the Tobacco Board is periodically reviewed at various levels such as by the Members of the Board, and by the Ministry of Commerce. Further, the Annual Administrative Report of the Board is placed before the Parliament.

लिंगेज के माध्यम से कोयले का आवंटन

823. श्री जगन्नाथ सिंह: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्हें देश में प्रत्येक कोयला कम्पनी द्वारा लिंगेज के माध्यम से कोयला आवंटित किया जा रहा है;

(ख) क्या भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोल इंडिया लिमिटेड को कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) कोयला कंपनियों द्वारा प्रायोजनों और/अथवा संयोजनों के आधार पर वास्तविक उपभोक्ताओं को ही कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। उपभोक्ता-वार कोयले की आपूर्तियों का ब्यौरा कोल इंडिया लि० में केन्द्रीयकृत रूप में नहीं रखा जाता है तथा बड़ी संख्या में कोलियारियों और क्षेत्रों से इन आंकड़ों को एकत्रित करने में काफी समय लगेगा। अतः यह बात महसूस की गई है कि इन ब्यौरों को संकलन तथा संग्रहण करने में लगने वाली अपेक्षित समयावधि और प्रयासों को देखते हुए वह प्रयोजन पूरा नहीं होगा जिसके लिए इनका संग्रहण किया जाएगा।

(ख) और (ग) वर्तमान नीति के अंतर्गत कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था कोयले के वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए ही की जाती है। इस नीति के अंतर्गत किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के लिए कोई विशेष दर्जा दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः सभी अनु. जाति/अनु. जनजाति से संबंधित व्यक्ति, जोकि कोयले के वास्तविक उपयोगकर्ता के मानदंड को पूरा करते हैं, उन्हें कोयले की आपूर्ति की जाएगी बशर्ते कि वे सम्बद्ध प्रायोजन प्राधिकारियों से आवश्यक प्रायोजनों और/अथवा संयोजनों को प्राप्त कर लें।